रजिस्ट्री सं. डी॰ (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 171] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 1985/चैत्र 26, 1907
No. 171] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 1985/CHAITRA 26, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1985

सं. 107/85-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 364 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 68/83-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,—

(1) क्रम सं. 17 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्न लिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"ड्रा बार हार्स पावर 25 से अनधिक के ट्रेक्टर ;" और

(2) क्रम सं. 18 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्न लिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"ड्रा बार हार्स पावर 25 से अधिक किन्तु 50 से अनधिक के ट्रेक्टर ।" ।

[फा. सं. 346/9/85-टी आर यू]
के. एस. वेंकटगिरी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 1985

No. 107|85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 364(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 68|83-Central Excises, dated the 1st March, 1983, namely :—

In the Table annexed to the said notification,—

(i) against S. No. 17, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"Tractors of Draw-Bar Horse Power not exceeding 25."; and

(ii) against S. No. 18, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :—

"Tractors of Draw-Bar Horse Power exceeding 25 but not exceeding 50.".

[F. No. 346|9|85-TRU]
K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985